न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/109/2025 रजि0 न0 2025/294

अपीलार्थीः—

श्री प्रतापसिंह एडवोकेट कोर्ट कैम्पस बहरोड जिला कोटपूतली—बहरोड (राजस्थान)। 301701

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 25.08.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—6 (1) के तहत सूचना आवेदन 17.06.2025 को प्रस्तुत कर जिला प्रमुख जिला परिषद अलवर श्री बलवीर सिंह छिल्लर द्वारा तत्कालीन जिला कलक्टर अलवर के समक्ष पत्र क्रमांक जिप0/अल/2022/354 दिनांक 13.09.2022 को प्रेषित किया गया था जिस पर आज दिनांक तक की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें
4. सूचना आवेदन के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील इस न्यायालय में संस्थित कराई गई है।
5. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.08.2025 को उपस्थित आवें।
6. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय से जवाब पत्र संख्या लो0सू0अ0/प्रथम अपील 2025/1151 दिनांक 21.08.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों—प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया । प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी को सूचना एवं सूचना आवेदन दिनांक 17.06.2025 को राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन आर.टी.आई. पोर्टल पर जरिये आवेदन संख्या 293946426993286 दिनांक 23.06.2025 दर्ज रजिस्टर कर आर.टी.आई. पोर्टल पर पत्र संख्या 2665525742 दिनांक 01.08.2025 के माध्यम से अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर संसूचित किया जा चुका है । अतः उक्त आलोक में प्रथम अपील खारिज किये जाने योग्य है ।
7. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अस्वीकार की जाकर निरतारित की जाती है।
8. आज दिनांक 25.08.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हरताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर